न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 73/2016

अपीलांट

धर्माराम पुत्र छोगाजी जाति मेघवंशी निवासी धानपुर तहसील जालोर जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. केसा पुत्र हीराजी
2. पोलीया पुत्र देसाजी
3. जगा पुत्र हीराजी
4. उमा पुत्र हीराजी
5. काना पुत्र देसाजी तमाम जाति मेघवंशी निवासी धानपुर तहसील जालोर जिला जालोर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री नैनसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सरवत अख्तर विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02
3. श्री अशोक माली विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 03 व 04
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 05 स्वंय उपस्थित।
5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 06 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

–: निर्णय :–

दिनांक : 15.07.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर उपखंड अधिकारी जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 8/2015 में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा धानपुर तहसील जालोर के खसरा नंबर 172 रकबा 1.25 हैक्टर, 173 रकबा 0.38 हैक्टर कुल रकबा 1.63 हैक्टर का बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के रूबरू आर.आई एवं पटवारी अथवा तहसीलदार ने कोई मौका नहीं देखा एवं न ही प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मौके पर जाकर बनाई गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय में कानूनी डिक्री पर्चा जारी करने का कोई आदेश नहीं दिया है एवं न ही डिक्री पर्चा जारी किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम किये बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय अपास्त फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा धानपुर तहसील जालोर के खसरा नंबर 172 रकबा 1.25 हैक्टर, 173 रकबा 0.38 हैक्टर कुल रकबा 1.63 हैक्टर का बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पारित किया है। अपीलांट स्वंय ने वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा करवाकर नक्शा बनवाकर रेस्पोडेन्टगण को उनका हिस्सा स्वेच्छा से दिया है और स्वंय भी वर्षो पहले प्लाट संख्या 04 व 05 पर अपने घर का निर्माण कर रखा है। पंचायत धानपुर की तरफ से जनसुविधा के तहत सीसी रोड का निर्माण कराया हुआ है। बिजली के खम्भे लगे हुए है। वादग्रस्त आराजी पर मौके पर आबादी बसी हुई है। पुराने मकान बने हुए है। वादग्रस्त आराजी का अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के मध्य वर्षो पहले बंटवाडा हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी मौजा धानपुर तहसील जालोर के खसरा नंबर 172 रकबा 1.25 हैक्टर, 173 रकबा 0.38 हैक्टर कुल रकबा 1.63 हैक्टर का बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.06.2016 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई। उसके पश्चात उक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार जालोर द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उक्त मौका रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय लोक अदालत कैम्प में पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006(4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि Legal Services Authorities Act 1987, Section 20- Power of disposal of cases by Lok Adalat- No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settelment" The former expression means settlement of differences by mutual concessions. it is an agreement reached by adjustment of confficting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element o accommodation on each side. it is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settelment" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat" इसी प्रकार एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त न्यायिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निर्णय पारित करने हेतु दोनो पक्षों की उपस्थिति एवं उनमें राजीनामा होना आवश्यक है, बिना राजीनामे के लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतया प्रभावित होते है। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत खातेदारी घोषित कराने एवं स्थाई व्यादेश जारी करने के प्रावधान है। इन नियमों के तहत जो कार्यवाही की जानी है, वह रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूअल एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना की जानी आज्ञापक है। इसके अनुसार वाद दायर होने के पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तामील किया जाना, विधिवत तामील के पश्चात पक्षकारों की उपस्थिति/अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विधिवत निर्णय लिया जाना। जवाबदावा/प्रतिदावा प्रस्तुत करना, तनकीयात कायम करते हुए उन पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय करने के पश्चात ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात कायम करते हुए उन पर संग्रहित साक्ष्यों पर तनकीयात विनिश्चय किये प्रशासन गांवो के संग लोक अदालत कैम्प में विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखंड अधिकारी जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 8/2015 में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली केम्प-जालोर